

Conduct of Elections Rules, 1961
(Statutory Rules And Order)
FORM 21C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

*Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** from **68-Rajgarh-Laxmangarh (ST)** Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

MANGELAL MEENA

bairawanda post kaneti tehsil reni district alwar raj. [sponsored by **Indian National Congress**] has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :

Date : 03-12-2023



(Om Prakash Meena)

Returning Officer

068-Rajgarh-Laxmangarh(ST)
Legislative Assembly Constituency

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिये)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा ।

068-राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचन का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि-

श्री मांगेलाल मीना, बैरावणडा पोस्ट कानेटी, तहसील रैणी जिला अलवर राज० जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किये गए है ।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है ।

स्थान अलवर

दिनांक 03-12-2023



(ओम प्रकाश मीना)
रिटर्निंग ऑफिसर

068-राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (अ.ज.जा.)

उपखंड अधिकारी एवं उपखंड

मजिस्ट्रेट राजगढ़

(ओम प्रकाश मीना)

रिटर्निंग अधिकारी

(उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट) राजगढ़
विक्रनसभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ (068) ST